

## न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -64/2016 (आवन्तन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00236

सरकार जयें तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—प्रार्थी.

बनाम

1. श्रीमति गुलाबबाई पत्नि बाला ऐरवाल निवासी गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी मृतक जयें का0मु0-  
1/1बीरमलाल आत्मज बाला  
1/2किशनलाल आत्मज बाला जाति ऐरवाल  
निवासीगण गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा



—अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ  
भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के  
अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत ।

उपस्थित—

1. परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:- 03/02/2025

- 1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम गोयन्दा के आराजी खसरा नम्बर 1557/41 रकबा 0.75 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।
- 2 प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीया के फौत से कायम मुकामान की ओर से अभिभाषक श्री शिवनारायण नागर का वकालतनामा पेश हुआ । अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी काफी लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं और ना ही जवाब प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु परोकार सरकार को सुना गया ।
- 3 परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम गोयन्दा तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1557/41 रकबा 0.75 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से यह जाहिर हो रहा है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

जिला कलेक्टर  
कोटा

- 4 हमने पेरोकार सरकार की वहास पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा 1557/41 रकबा 0.75 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काशत नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।
- 5 परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1557/41 रकबा 0.75 हे0, भूमि आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काशत नहीं की जाने से आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
- 6 निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।



(डॉ. सचिन्द्र गोस्वामी)  
जिला कलेक्टर, कोटा  
जिला कलेक्टर  
कोटा